

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

:: संकल्प ::

श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 की सांविदिक अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप पत्रांक- 130 दिनांक-03.02.2024 के द्वारा झा0प्र0से0 के कुल 07 पदाधिकारियों के विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख/संचिका विभाग को वापस कर दिया गया है। तदनुसार श्री सिंह से प्राप्त निम्नवत् 07 (सात) विभागीय कार्यवाही अभिलेखों/संचिकाओं को श्री कमल जॉन लकड़ा को अंतरित करते हुए इन मामलों में उन्हें संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

क्र0	विभागीय संकल्प सं0	आरोपी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1.	3165/01.06.2023	श्री रविन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0(को0क्र0-618/03), तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा। (अभिलेख सं0- 30/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं0-3, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं0- 522)
2.	24328(HRMS)/27.09.2023	श्री जयदीप तिग्गा, झा0प्र0से0(को0क्र0-861/03), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। (अभिलेख सं0- 47/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं0-2, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं0- 81)
3.	4603/10.08.2023	श्री रविशंकर, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (को0क्र0-540/03), तत्कालीन संयुक्त सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची। (अभिलेख सं0- 45/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं0-3, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं0- 135)
4.	24943(HRMS)/10.11.2023	श्री लखी राम बास्के, झा0प्र0से0(को0क्र0-61/20), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी-03, मानगो शिविर, आदित्यपुर सम्प्रति- उप सचिव योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची। (अभिलेख सं0- 51/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं0-2, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं0- 84)
5.	25149(HRMS)/29.11.2023	श्री जितेन्द्र कुमार देव, झा0प्र0से0(को0क्र0-808/03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़। (अभिलेख सं0- 52/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं0-2, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं0- 389)
6.	4852/25.08.2023	श्री मुकुन्द दास, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0(को0क्र0-594/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुमला। (अभिलेख सं0- 48/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं0-2, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं0- 231)
7.	12401(HRMS)/09.12.2020	श्री संदीप बक्सी, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-748/03)। (न्यायालय के आदेश से लंबित)। (अभिलेख सं0- 08/2021, आदेश फलक, पृष्ठों की सं0-10, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं0- 95)

2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(चिन्टु दोराईबुरु)

सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ०पृ०उ०.....

ज्ञापांक-3/आरोप(विविध)-13-3/2024 का. 2848/राँची, दिनांक 22 अप्रैल, 2024
प्रतिलिपि-✓ विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।